भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1847
(11 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत लाभार्थी

1847. श्री उम्मेदा राम बेनीवाल:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई सेवा शर्तों के अनुसार , जिस परिवार के एक सदस्य की मासिक आय पंद्रह हजार रुपये से अधिक हो तथा जिस किसान के पास ढाई एकड़ तक सिंचित भूमि तथा पांच एकड़ तक असिंचित भूमि हो , वह प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का लाभ पाने के लिए पात्र होंगे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कृषि पर निर्भर पश्चिमी राजस्थान के लोगों के लिए ढाई एकड़ तक सिंचित भूमि तथा पांच एकड़ तक असिंचित भूमि की शर्त उपयुक्त है; और

(ग) क्या सरकार का सिंचित तथा असिंचित भूमि की इस शर्त में संशोधन करने का विचार है ताकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास का लाभ उन जरूरतमंद लोगों को मिल सके, जो इस शर्त के कारण वंचित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)

(क) से (ग): जी नहीं। ग्रामीण विकास मंत्रालय 1 अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का कार्यान्वयन कर रहा है , जिसका उद्देश्य बुनियादी सुविधाओं के साथ पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान करके 2.95 करोड़ आवासों का निर्माण करना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 09.08.2024 को अपनी बैठक में पीएमएवाई-जी के तहत 2 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण आवासों के निर्माण को अनुमोदन दिया है , जिनका निर्माण वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2028-29 तक अगले पांच वर्षों में किया जाएगा , ताकि देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की संख्या में वृद्धि के कारण अतिरिक्त आवास आवश्यकताओं

को पूरा किया जा सके। आवास + 2024 मोबाइल ऐप का उपयोग करके अतिरिक्त पात्र परिवारों की पहचान के लिए सर्वेक्षण जारी है। आवास+ 2024 सर्वेक्षण पूरा करने की प्रारंभिक समय सीमा 31.03.2025 है।

पीएमएवाई-जी के तहत अतिरिक्त लाभार्थियों की पहचान के लिए संशोधित बहिष्करण मानदंड (केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित) के अनुसार , पक्की छत और/या पक्की दीवार वाले आवासों में रहने वाले सभी परिवारों और 2 से अधिक कमरों वाले आवासों में रहने वाले परिवारों को बाहर रखा गया है। शेष परिवारों से , नीचे सूचीबद्ध 10 मापदंडों में से किसी एक को पूरा करने वाले सभी परिवारों को स्वत: बाहर कर दिया जाता है:

1. मोटर चालित तीन/चार पहिया वाहन
2. मशीन चालित तीन/चार पहिया कृषि उपकरण
3. 50,000/- रुपये या उससे अधिक की ऋण सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड
4. ऐसा परिवार जिसका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो।
5. सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम वाले परिवार।
6. वह परिवार जिसका का कोई भी सदस्य जिसकी मासिक आय 15,000 रुपये से अधिक हो।
7. आयकर का भुगतान करना ।
8. व्यवसायिक कर का भुगतान करना।
9 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि का स्वामित्व होना।
10. 5 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि का स्वामित्व होना।

वर्तमान में बहिष्करण मानदंड में संशोधन के लिए मंत्रालय के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****